HRA AN USIUM The Gazette of India

EXTRAORDINARY

भाग II-खण्ड 3-उप-खण्ड (i) PART II-Section 3-Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 521] No. 521] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 29, 2007/अग्रहायण 8, 1929 NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 29, 2007/AGRAHAYANA 8, 1929

भारतीय रिजर्व बैंक

(विदेशी मुद्रा विभाग)

(केन्द्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

मुम्बई, 13 नवम्बर, 2007

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (तीसरा संशोधन) विनियमावली, 2007

सा.का.नि. 737(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (ख) और धारा 47 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभृति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली 2000 (मई 3, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 20/2000—आरबी) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात :—

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (तीसरा संशोधन) विनियमावली 2007 कहलाएंगे।
- (2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।
- 2. विनियमावली में संशोधन.—विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभृति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 (मई, 3, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 20/2000 आरबी) में अनुसूची-1 में पैरा 8 में, स्पष्टीकरण के बाद निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :

''बशर्ते यदि आवक प्रेषण की प्राप्ति अथवा अनिवासी विदेशी/ विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) खाते के नामे डालने की तारीख से 180 दिनों के अंदर शेयर अथवा परिवर्तनीय डिबेंचर जारी नहीं किए जाते हैं तो ऐसे प्राप्त प्रतिफल की राशि को, संबंधित व्यक्ति को सामान्य बैंकिंग चैनल के माध्यम अथवा उसके अनिवासी विदेशी/विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) खाते में जमा द्वारा, जैसा मामला हो, लौटाया जाएगा:

बशर्ते आगे यह कि रिज़र्व बैंक, अपने पास आवेदन प्राप्त होने पर तथा पर्याप्त कारणों से भारतीय कंपनी को प्रतिभूति के निर्गम लिए प्राप्त राशि को लौटाने की अनुमित दे सकता है, यदि ऐसी राशि प्राप्ति की तारीख से 180 दिनों से अधिक के लिए बकाया है।

[सं. फेमा 170/2007-आर बी]

सलीम गंगाधरन, मुख्य महाप्रबंधक

पाद टिप्पणी: मूल विनियमावली सरकारी राजपत्र में दिनांक मई 8, 2000 के सं. सा.का.नि. 406 (अ) में भाग 11, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किए गए हैं और तत्पश्चात् निम्नानुसार संशोधित किए गए हैं:-

सं. सा.का.नि. 158(अ) दिनांक 02-3-2001

सं. सा.का.नि. 175(अ) दिनांक 13-3-2001

सं. सा.का,नि. 182(अ) दिनांक 14-3-2001

सं. सा.का.नि. 4(अ) दिनांक 02-1-2002

सं. सा.का.नि. 574(अ) दिनांक 19-8-2002

सं. सा.का.नि. 223(अ) दिनांक 18-3-2003

सं. सा.का.नि. 225(अ) दिनांक 18-3-2003

सं.. सा.का.नि. 558(अ) दिनांक 22-7-2003

सं. सा.का.नि. 835(अ) दिनांक 23-10-2003

सं. सा.का.नि. 899(अ) दिनांक 22-11-2003

सं. सा.का.नि. 12(अ) दिनांक 07-1-2004

सं. सी.का.नि. 278(अ) दिनांक 23-4-2004

सं. सा.का.नि. 454(अ) दिनांक 16-7-2004

सं. सा.का.नि. 625(अ)दिनांक 21-9-2004

सं. सा.का.नि. 799(अ) दिनांक 08-12-2004

सं. सा.का.नि. 201(अ) दिनांक 01-4-2005

सं. संा.का.नि. 202(अ) दिनांक 01-4-2005

सं. सा.का.नि. 504(अ) दिनांक 25-7-2005

सं. सा.का.नि. 505(अ) दिनांक 25-7-2005

सं. सा.का.नि. 29(अ) दिनांक 19-1-2006

सं. सा.का.नि. 513(अ) दिनांक 29-7-2005

सं. सा.का.नि. 738(अ) दिनांक 22-12-2005

सं. सा.का.नि. 413(अ) दिनांक 11-3-2006

RESERVE BANK OF INDIA

(Foreign Exchange Department)

Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by A Person Resident Outside India) (Third Amendment) Regulations, 2007

NOTIFICATION

Mumbai, the 13th November, 2007

Central Office

- G.S.R. 737(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (3) of Section 6 and Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999) the Reserve Bank of India hereby makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by A Person Resident Outside India) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA 20/2000-RB dated 3rd May 2000) namely:
- 1. Short Title and Commencement.—(i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by A Person Resident Outside India) (Third Amendment) Regulations, 2007.
- (ii) These regulations shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Amendment of the Regulations.—In the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by A Person Resident Outside India) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA 20/2000-RB dated 3rd May 2000), in Schedule 1, in paragraph 8, after Explanation, the following provisos shall be inserted, namely:

"Provided that if the shares or convertible debentures are not issued within 180 days from the date of receipt of the inward remittance or date of debit to NRE/FCNR (B) account, the amount of consideration so received shall be refunded to the person concerned by outward remittance through normal banking channels or by credit to his NRE/FCNR(B) account, as the case may be;

Provided further that the Reserve Bank may, on an application made to it and for sufficient reasons permit an Indian company to refund the amount. of consideration received towards issue of security, if such amount is outstanding beyond a period of 180 days from the date of receipt.

[No. FEMA 170/2007-RB]

SALIM GANGADHARAN, Chief General Manager

Foot Note: The Principal Regulations were published in the Official Gazette *vide* No. G.S.R. 406 (E) dated May 8, 2000 in Part II, Section 3, sub-section (i) and subsequently amended as under:

No. G.S.R. 158(E) dated 02-03-2001

No. G.S.R. 175(E) dated 13-03-2001

No. G.S.R. 182(E) dated 14-03-2001

No. G.S.R. 4(E) dated 02-01-2002

No. G.S.R. 574(E) dated 19-08-2002

No. G.S.R. 223(E) dated 18-03-2003

No. G.S.R. 225(E) dated 18-03-2003

 N_0 , G.S.R. 558(E) dated 22-07-2003

No. G.S.R. 835(E) dated 23-10-2003 No. G.S.R. 899(E) dated 22-11-2003

No. G.S.R. 12(E) dated 07-01-2004

No. G.S.R. 278(E) dated 23-04-2004

No. G.S.R. 454(E) dated 16-07-2004

No. G.S.R. 625(E) dated 21-09-2004

No. G.S.R. 799(E) dated 08-12-2004

No. G.S.R. 201 (E) dated 01-04-2005

No. G.S.R. 202(E) dated 01-04-2005

No. G.S.R. 504(E) dated 25-07-2005 No. G.S.R. 505(E) dated 25-07-2005

No. G.S.R. 513(E) dated 29-07-2005

No. G.S.R. 738(E) dated 22-12-2005

No. G.S.R. 29(E) dated 19-01-2006

No. G.S.R. 413(E) dated 11-07-2006